आदेश की क्रम-संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारिख सहित 3
23/2/18	**आदेश** अपर समाहर्त्ता, लोक शिकायत निवारण–सह–जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बांका के द्वारा प्रथम अपील में दिनांक–13.01.2018 को पारित आदेश के अनुपालन नहीं होने की स्थिति में परिवादी दिलीप कुमार सिंह, पिता–जर्नादन प्रसाद सिंह, ग्राम–अराजी करसोप, पोस्ट–शंभुगंज, थाना–शंभुगंज, प्रखंड–शंभुगंज, जिला–बांका के द्वारा द्वितीय अपील दायर किया गया है जिसका अनन्य संख्या– 523110115121702230/2A वर्ष–2018 दिलीप कुमार सिंह बनाम् अंचल अधिकारी, शंभुगंज है। इस संबंध में अंचल अधिकारी, शंभुगंज के पत्रांक–59 दिनांक–03.02.18 द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। सुनवाई तिथि को अपीलार्थी एवं अंचल अधिकारी, शंभुगंज उपस्थित है। सुनवाई की गयी। अंचल अधिकारी का प्रतिवेदन है कि जांच हल्का कर्मचारी से करायी गयी। प्रतिवेदित किया गया है कि पूर्व में भी परिवाद सं0–0619 (शोभा रमण) के नाम से दिया गया था। इसके आलोक में शोभा रमण द्वारा $1^1/_2$डी0 जमीन केवाला लिया गया है कि जो कि पूरब से 22 फीट उत्तर से दक्षिण 32 फीट तथा नहर पश्चिम से पूरब 80 फीट है। पक्की सड़क 80 फीट है। दिनांक–23.07.16 को आवेदक एवं विपक्षी के बीच जो आम लोगों के समक्ष इस जमीन से संबंधित सहमति पत्र तैयार हुआ था उसे आवेदक संतुष्ट नहीं थे। अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बांका के आवेदन पत्र के आलोक में दुबारा सिंचाई विभाग के द्वारा चिन्हित प्रतिवेदन के आधार पर मापी चाहते थे जिसके अनुसार पश्चिम से पूरब 22 फीट तथा उत्तर से दक्षिण 32 फीट तथा नहर 80 फीट एवं पक्की सड़क 80 फीट है जिससे आवेदक पूर्णत संतुष्ट हुए थे। भूखंड सिंचाई विभाग के नहर एवं सड़क के पश्चिम क्रेता का मकान है। आवेदक सिमांकन कर दखल चाहते है। प्रतिवेदन के साथ अंचल अमीन का मापी प्रतिवेदन दिनांक–09.09.16 संलग्न है जिससे स्पष्ट होता है कि सरजमीन पर मापी की गयी थी जिससे आवेदक संतुष्ट हुए थे। प्रथम अपीलीय प्राधिकार द्वारा भी अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन के आलोक में प्रथम अपील को खारिज किया गया है। परिवादी दुबारा सिमांकन कराना चाहते है जबकि मापी पश्चात् आवेदक पूर्व में संतुष्ट हुए थे। फलस्वरूप पुनः परिवाद दायर करने का कोई युक्तियुक्त वजह नहीं है। अतः विचारोपरांत द्वितीय अपील को अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित (हस्ताक्षर) जिला पदाधिकारी, बांका (हस्ताक्षर) 23/2/18 जिला पदाधिकारी –सह– द्वितीय अपीलीय प्राधिकार, जिला लोक शिकायत निवारण, बांका।	